

ए.12026/4/2023-प्रशा.।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 16 फरवरी, 2023

परिपत्र

**विषय: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/अल्पकालिक संविदा के आधार पर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद (हरियाणा) के निदेशक के पद भरे जाने के संबंध में।**

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद (हरियाणा) के निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/अल्पकालिक संविदा के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। इस पद में वेतन मैट्रिक्स (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान) के लेवल-16 का वेतनमान तथा केंद्र सरकार की दरों पर विभिन्न भत्ते शामिल हैं। आवास सुविधा संस्थान के परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी।

2. नियुक्ति की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय लागत लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा तथा भारतीय रेलवे लेखा सेवा के एचएजी ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा अथवा एसएजी में 4 (चार) वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।

टिप्पण (i): उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।


टिप्पण (ii): पुनर्नियोजन द्वारा की गई नियुक्ति 65 वर्ष की आयु तक अथवा पांच वर्षों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमेय होगी।

(ख) पात्रता सेवा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि 11.07.2023 होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस आयु-सीमा को पार कर चुके आवेदकों के बारे में केवल पुनर्नियोजन आधार पर विचार किया जाएगा।

3. प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

4. अनुरोध है कि पात्र अधिकारियों के मध्य इस रिक्ति परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उपयुक्त और पात्र अधिकारियों, जो प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/अल्पकालिक संविदा के आधार पर उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हैं और जिनकी सेवाएं संवर्ग द्वारा तत्काल छोड़ी जा सकें, के आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध II) में 3 प्रतियों में सीआर डोसियर, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, सतर्कता

के आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध II) में 3 प्रतियों में सीआर डोसियर, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र, पिछले 10 वर्षों में अधिकारी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई, इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से अवर सचिव (प्रशासन-1), व्यय विभाग, कमरा सं. 225 ई, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को इस प्रकार भेजे जाएं कि वे रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 28 दिन के अंदर प्राप्त हो जाएं। अधूरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।



(रंजीत कुमार झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23095695

ए.12026/4/2023-प्रशा.।

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद (हरियाणा) के निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/अल्पकालिक संविदा आधार पर भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो अनुबंध-I में दी गई अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हों तथा जिन्होंने अनुबंध II के अनुसार विधिवत् आवेदन भरे हों।

3. निर्धारित अपेक्षित अर्हता और पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक अधिकारी जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन इस प्रकार अग्रेषित किए जाएं कि वे रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 28 दिन के अन्दर अवर सचिव (प्रशासन-I), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पास पहुँच जाएं। आवेदन सभी तरह से पूरे हों और इसके साथ संबंधित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट डोसियर, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र तथा सर्तकता अनापत्ति प्रमाण-पत्र, पिछले दस वर्षों में अधिकारी पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई, इस आशय के प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाएं। नियत तारीख के बाद प्राप्त अथवा गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के बिना प्राप्त आवेदनों तथा अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व आवेदक के ब्यौरे की सावधानी से जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(रंजीत कुमार झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23095695

पद	निदेशक, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा
वेतनमान	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-16 (7वां केन्द्रीय वेतन आयोग वेतनमान)। केंद्र सरकार की दर पर विभिन्न भत्ते। आवास सुविधा संस्थान के परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्रता की शर्तें	<p>(i) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय लागत लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा तथा भारतीय रेलवे लेखा सेवा के एचएजी ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा अथवा एसएजी में 4(चार) वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी।</p> <p>(ii) उसी संगठन अथवा किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(iii) पुनर्नियोजन द्वारा की गई नियुक्ति 65 वर्ष की आयु तक अथवा पांच वर्षों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमेय होगी।</p> <p>(iv) पात्रता सेवा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख 11.07.2023 होगी।</p> <p>(v) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिन आवेदकों की आयु इस आयु सीमा से अधिक है, उन्हें केवल पुनर्नियोजन पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जाएगा।</p> <p>(vi) प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल हैं) के आधार पर नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।</p>

प्रोफार्मा

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के निदेशक के पद पर  
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/अल्पकालिक संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन

1. उम्मीदवार का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. संपर्क विवरण  
(क) पत्राचार का पता  
(i) कार्यालय :  
(ii) निवास :  
(ख) फोन/मोबाइल नं. :  
(ग) ई-मेल पता :
5. सेवा विवरण  
(क) उम्मीदवार किस सेवा और बैच के हैं :  
(ख) सेवा में आने की तारीख :  
(ग) सेवानिवृत्ति की तारीख :  
:
6. शैक्षिक अर्हताएं

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी	विषय
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)

7. विशेष अर्हता, यदि कोई हो,

8. नियोजन का क्रमानुसार विवरण

कार्यालय/संस्था	नियमित	से	तक	नियमित आधार	पद	जिसके लिए
	आधार पर			पर धारित	पद आवेदन किया है, के	
	धारित पद			का वेतनमान	लिए	अपेक्षित

(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
-----	------	-------	------	-----	------

9. क्या आवेदक परिपत्र में यथानिर्धारित पात्रता सेवा को पूरा करता है
- (क) एसएजी में की गई सेवा अवधि :
- (ख) एचएजी में की गई सेवा अवधि :
10. वर्तमान नियोजन
- (क) इस समय धारित पद :
- (ख) वर्तमान पद में नियुक्ति की तारीख :
- (ग) वर्तमान वेतनमान :
- (घ) क्या यह संवर्ग पद है या संवर्ग बाह्य पद है :
11. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है, तो
- (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :
- (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि :
- (ग) आवेदक के मूल कार्यालय/संगठन का नाम :
- (घ) मूल संगठन में मौलिक हैसियत में धारित पद का नाम और पद का वेतनमान :
12. यदि पूर्व में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख और अन्य विवरण :
13. पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुभव का विवरण (किए गए कार्य का स्वरूप दर्शाएं) :
14. उपलब्धियां
- (i) अनुसंधान प्रकाशन, रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं :
- (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्तियां/शासकीय प्रशंसा :

- (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/ :  
सोसाइटियों से संबद्धता
- (iv) प्रकाशित पुस्तकें :
- (v) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिनमें भाग लिया/  
जिन्हें संचालित किया :
15. कोई अन्य सूचना, जिसका आवेदक उल्लेख  
करना चाहता है :
16. क्या आवेदन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन  
या अल्पकालिक संविदा आधार पर :  
नियुक्ति के लिए है
17. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित :  
जनजाति से हैं

मैंने इस रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं भली-भांति यह जानता हूँ कि कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों के साथ विधिवत प्रस्तुत आवेदन में दी गई सूचना का पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना/विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं और मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को छिपाया/दबाया नहीं गया है।

दिनांक :

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता:

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही है। उसके पास रिक्ति परिपत्र में यथा-उल्लिखित पात्रता सेवा है। यदि चयन किया जाता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि,

(i) श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ के विरुद्ध किसी भी प्रकार का सतर्कता/अनुशासनिक मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

(iii) उनके पिछले पांच वर्ष के एसीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में या भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित एसीआर/एपीआर की फोटोप्रतियां संलग्न हैं (जैसा भी मामला हो)।

(iv) उनपर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है या उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की एक सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित

\_\_\_\_\_  
(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर के साथ)